न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय, सहारनपुर।

सरकार बनाम अरविन्द कुमार

धारा-191(2),308(5),352,351(2),3(5) बी.एन.एस. 7 सी.एल.ए. एक्ट
थाना- सरसावा, सहारनपुर।
मु.अ.स – 89/ 2026

30.03.2026

मु.अ.स – 89 / 2026, अन्तर्गत धारा 191(2),308(5),352,351(2),3(5) बी.एन.एस. 7 सी.एल.ए. एक्ट थाना- सरसावा जिला सहारनपुर के अन्तर्गत अभियुक्तगण **अरविन्द पंवार,जयवीर सिंह ,निक्कू उर्फ निखिल व योगेन्द्र** की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण निर्दोष है। प्रार्थीगण का स्थायी निवास है। प्रार्थीगण अपनी जमानत कराना चाहता है। प्रार्थीगण न्यायालय की संतुष्टि अनुसार उचित जमानती पेश करने को तैयार है। प्रार्थीगण दिनांक 25.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण दिनांक 25.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्तगण को किसान यूनियन से जुडा होना बताया गया है। पुलिस द्वारा उनके हाथ किसी भी प्रकार का हथियार होना आरोपित नहीं किया गया है न ही पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। अभियुक्तगण का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। प्रस्तुत प्रकरण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **अरविन्द पंवार,जयवीर सिंह ,निक्कू उर्फ निखिल व योगेन्द्र** प्रत्येक द्वारा **25,000 /- रुपये** का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र व समान धनराशि के दो-दो विश्वसनीय प्रतिभूगण दाखिल करने पर अवमुक्त किया जाता है।

ए०सी०जे०एम० – तृतीय
सहारनपुर